an>

Title: Regarding creation of benches of Allahabad high court at Meerut, Agra, Benaras and Gorakhpur.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं यह सवाल 15 करोड़ आम जनता, हजारों वकीलों और देश की हायर ज्यूडिशएरी की तरफ से उठा रहा हूं। लोग कहते हैं कि Justice delayed is justice denied. अगर हम न्याय में देरी करते हैं, तो न्याय नहीं मिलता। इसी तरह कहा जाता है कि Costly justice is a curse; and it devastates the rural /common man. हमारी 20 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उसकी एक ब्रांच वर्ष 1948 में अवध में बनी थी, जो केवल मात्र 12 जिलों के लिए है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की स्ट्रैन्थ है, जबकि उसमें अभी केवल 80 जजेज ही हैं। जिस प्रकार से हार्ड ज्यूडिशएरी में जजेज जाते हैं, उसी तरह वर्ष 2012 में वहां से 15 जजों की संस्तुति हुई थी, जिसमें से केवल मात्र 9 जजेज ही सलैक्ट हुए। इससे पूरे देश की ज्यूडिशएरी अफैक्ट होती है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और लॉ मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोग रहते हैं इसलिए मेरठ, आगरा, बनारस और गोरखपुर चार और बैंचिज़ बनाई जाएं। अवध केवल 12 जिलों को कवर करता है। इलाहाबाद मेन हाईकोर्ट है, इसके अंतर्गत 15 जिले रखे जाएं और अन्य जगह 12 जिले रखे जाएं। इससे आम आदमी को न्याय मिलने में सुविधा होगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तीन बैंचिंज़ हैं जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है, यहां केवल एक बैंच है। इन सभी जगहों पर मेरठ का स्थान देश के इतिहास में सर्वोपरि है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरा निवेदन है कि इसे ध्यान में रखते हुए मेरठ में सबसे पहले बैंच स्थापित की जाए।

माननीय अध्यक्ष:

श्री भोला सिंह को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।